

सलमान के विदेश जाने में अड़चन, राहत की गुहार

जोधपुर. दर्ज़र पुलिस लाइन के क्वार्टर में शुक्रवार को संदिग्ध हालात में एक महिला कांस्टेबल के पति की मौत हो गई। करवड़ थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड गठित करवाया, लेकिन अंधेरा होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पति की मौत के बाद कांस्टेबल पत्नी की भी तबीयत बिगड़ गई।

चाडी में लक्ष्मण नगर निवासी मांगीलाल (23) पुत्र भागीरथराम विश्नोई की दोपहर में अचानक तबीयत खराब हो गई। सूचना पर पिता व अन्य मांगीलाल को अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट अथवा कोई अन्य निशान नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि मृतक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम करता था और उसकी पत्नी शांतिदेवी ग्रामीण पुलिस में कांस्टेबल है। कुछ माह पहले ही उसका गौना हुआ था। वह पत्नी के साथ ग्रामीण लाइन के क्वार्टर में रह रहा था। पति की मौत का पता चलते ही कांस्टेबल शांति का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे एमजीएच में भर्ती करवाया गया। ऐसे में पुलिस को उससे भी मामले के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई।

जोधपुर. हरिण शिकार प्रकरण में फंसे फिल्म अभिनेता सलमान खान ने राजस्थान उच्च न्यायालय से विदेश



जाने में बाधक बन रहे निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई है।

हाईकोर्ट ने सलमान के इस प्रार्थना पत्र पर 12 नवम्बर को सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, हाल ही में सलमान खान का वीजा आवेदन ब्रिटेन ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उनको अदालत ने पांच वर्ष की सजा सुना रखी है। दस वर्ष की वीजा अवधि समाप्त होने पर उन्होंने नवीनीकरण का आवेदन किया था। जिसको यूके के इमिग्रेशन रूल्स के आधार पर खारिज कर दिया गया। जिस पर सलमान खान ने हाईकोर्ट में

लम्बित आपराधिक विविध याचिका में अधिवक्ता लेखराज मेहता व रमित

मेहता के माध्यम से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि वह फिल्म अभिनेता है। उनकी कई फिल्मों की शूटिंग देश-विदेश में होती है। हाईकोर्ट ने उनको विदेश जाने की अनुमति दे रखी है, लेकिन निचली अदालत द्वारा पारित कन्वीक्शन का ऑर्डर उनके विदेश जाने में बाधक बन रहा है। लिहाजा, हाईकोर्ट इस आदेश पर रोक लगाकर अथवा अन्य निर्देश जारी कर उनको राहत प्रदान करें। ताकि अन्य देशों के इमिग्रेशन कानून उनके विदेश जाने में अड़चन पैदा नहीं करें। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता रामेश्वरलाल जांगड़ व महिपाल विश्नोई ने प्रार्थना पत्र पर जवाब पेश करने के लिए समय चाहा। जिस पर न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने 12 नवम्बर को जवाब पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई मुलतवी कर दी। (विधि संवाददाता)